



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072020-220777  
CG-DL-E-30072020-220777

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]  
No. 373]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2020/श्रावण 8, 1942  
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2020/SHRAVANA 8, 1942

पोत परिवहन मंत्रालय

(पीएचआरडी अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2020

**सा.का.नि. 477(अ).**— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा, नीचे दी गई तालिका में क्रम सं. 1-2 के सामने उल्लेखित व्यक्तियों को दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के लिए दीनदायल पत्तन न्यास के न्यासी मंडल में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है:—

तालिका

1.	श्री एम. एल. बेलानी, महासचिव, परिवहन और डॉक वर्कर्स यूनियन	पत्तन में नियुक्त श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में
2.	श्री एल. सत्यनारायण, अध्यक्ष, परिवहन और डॉक वर्कर्स यूनियन	पत्तन में नियुक्त श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में

2. उपर्युक्त नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

[फा. सं. एल बी-11013/5/2019-एल]  
संजय बंदोपाध्याय, अपर सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING****(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th July, 2020

**G.S.R. 477(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against number 1-2 in the table below, to be trustees on the Board of Trustees of the Deendayal Port Trust for the period upto 31.03.2022:-

**Table**

1.	Shri M. L. Bellani, General Secretary, Transport & Dock Workers Union	Representing labour employed at the Port
2.	Shri L. Satyanarayan, President, Transport & Dock Workers Union	Representing labour employed at the Port

2. The aforesaid appointments shall come into force with immediate effect.

[F.No. LB-11013/5/2019-L]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Addl. Secy.